पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2019 ई0 (फाल्गुन 04, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–08

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	95–123	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	81–447	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

आदेश

17 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 129/X–2–2019–08(52)/2001–श्री राज्यपाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित वर्ष 2006) की धारा 4(1) (खख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री राजीव तलवार, 15 त्यागी रोड, देहरादून को राजाजी टाईगर रिजर्व (जनपद हरिद्वार–देहरादून क्षेत्र) हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (**Honorary Wild Life Warden**) नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

आबकारी विभाग

कार्यालय आदेश/पदोन्नति

16 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 35/XXIII/2019/01(03)/2014–तात्कालिक प्रभाव से निम्न सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को उप आबकारी आयुक्त, वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700, पे मैट्रिक्स लेवल–11 में पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री तपन कुमार पाण्डेय,
(2) श्री प्रभाशंकर मिश्रा,
(3) श्री विवेक सोनकिया।

2. उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप उनके पदोन्नत पद पर योगदान की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. उक्त अधिकारियों की पदस्थापना/तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

कार्यालय आदेश/पदोन्नति

16 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 36/XXIII/2019/01(03)/2014–तात्कालिक प्रभाव से निम्न आबकारी निरीक्षकों को सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500 पे मैट्रिक्स लेवल–10 में पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री रमेश चन्द,
(2) श्री कैलाश चन्द्र बिन्जोला,
(3) श्री के0 पी0 सिंह।

2. उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप उनके पदोन्नत पद पर योगदान की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. उक्त अधिकारियों की पदस्थापना/तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

पदोन्नति

10 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 56/XXVIII–2/2019–01(76)2006–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक (वेतनमान बैण्ड–4, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000) के पद पर कार्यरत डा0 तारा चन्द्र पंत को नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर वेतन मैट्रिक्स, ₹ 1,82,200–2,24,100, लेवल–16 (अपुनरीक्षित वेतनमान HAG 67,000, 3%, वेतनवृद्धि ₹ 79,000) में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

11 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 53/IX–1/166(2004)/2019–शासन के अधिसूचना संख्या 619/IX/116/2005, दिनांक 17 जनवरी, 2005 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988 यथा संशोधित अधिनियम, सन् 2000) की धारा 67(1) (घ) (1) के अधीन एवं उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को मंजिली, ठेका गाड़ी तथा माल वाहन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों) के किराये और माल भाड़े की दरों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियत किए जाने हेतु नामित किया गया था।

2. उक्त के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–215/IX/116/2005, दिनांक 02 मई, 2005 द्वारा उत्तरांचल परिवहन निगम के कार्मिकों के महंगाई भत्ते एवं डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने पर निगम द्वारा स्वतः निगम की बसों में किराये में वृद्धि करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया।

3. अतः उपरोक्त के क्रम में परिवहन विभाग के उक्त शासनादेश संख्या–215/IX/116/2005, दिनांक 02 मई, 2005 को निरस्त करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988 यथासंशोधित अधिनियम सन् 2000) की धारा 67(1)(घ)(1) के अधीन एवं उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को मंजिली, ठेका गाड़ी तथा माल वाहन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों) के किराये और माल भाड़े की दरों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियत किए जाने हेतु नामित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा. से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

08 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 17 / XI(1) / 2019 / 53(01) / 2018 T.C.–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पदोन्नति के परिणाम स्वरूप चयनित निम्नलिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन–₹ 5,400 / – (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती निम्न तालिका के स्तम्भ–3 से स्तम्भ–4 में उल्लिखित उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में की जाती है। विकास खण्डों में तैनाती सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के द्वारा की जायेगी:–

क्र0 सं0	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1.	श्री गोपाल सिंह चमियाल	टिहरी गढ़वाल	अल्मोड़ा
2.	श्री राजपाल सिंह नेगी	पौड़ी गढ़वाल	चमोली
3.	श्री राकेश चन्द्र नौटियाल	टिहरी गढ़वाल	पिथौरागढ़
4.	श्री राजेन्द्र सिंह असवाल	देहरादून	हरिद्वार
5.	श्री सोहन सिंह राणा	उत्तरकाशी	पौड़ी
6.	श्री महेश चन्द्र जोशी	देहरादून	देहरादून
7.	श्री विजेन्द्र लाल	टिहरी गढ़वाल	पिथौरागढ़
8.	श्री रामलाल राज	रूद्रप्रयाग	ऊधमसिंह नगर
9.	श्री धीरज दास नथवान	पौड़ी गढ़वाल	ऊधमसिंह नगर
10.	श्री मोहन चन्द्र	चमोली	पौड़ी

2. उक्त पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद में योगदान करने के उपरान्त कार्यभार प्रमाणक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

03 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 47 / II(1)–2019–01(42)(430) / 2012–नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–13, ₹ 1,23,100–2,15,900 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हुए, स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18 एवं 19 में निहित प्राविधानों के अधीन इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन तैनाती के स्थान पर पदस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
1.	श्री शिवनारायण सिंह	PMGSY सिंचाई खण्ड, पुरोला	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, देहरादून

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. उक्त नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

4. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 लोक सेवा अभिकरण, नैनीताल में योजित निर्देश याचिका सं0 15/एन0बी0/डी0बी0/2017, श्री सुनील कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

ओमकार सिंह
संयुक्त सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

विविध

23 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 74/XVIII(3)2019–4(12)/2017–राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड के चकबन्दी अधिष्ठान (राजस्व विभाग) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली, 2018

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा में समूह "ख" व "ग" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;

(ग) "आयोग" से "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2– संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है:

परन्तु यह कि:–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित रख सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ii) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसे वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) **चकबन्दी अधिकारी** ऐसे स्थायी सहायक चकबन्दी अधिकारी, में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

	(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी	(1) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
		(2) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी चकबन्दीकर्ता में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजनिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, अस्वीकार किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

पद	अर्हता
सहायक चकबन्दी अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता प्राप्त की हो।

अनिवार्य अर्हता 9. अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

अधिमानी अर्हता 10. **अभ्यर्थी जिसने–**

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा;

आयु 11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर, की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा

उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता 14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रुप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे:–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49, वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड़ की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारुप, आयोग द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) **(एक)** चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) **(क)** लिखित परीक्षा 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सहीं उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.uk.nic.in पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जायेगी;

परन्तु यह कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रुप में या भर्ती के ढंग के रुप में विहित किये गये हों, लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड़ विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे:–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो उस पद का पर्यवेक्षीय हैसियत रखते हों जिसके लिए चयन किया जाये — सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनु0जाति व जनजाति वर्ग का एक अधिकारी — सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी और सम्बन्धित को अपेक्षित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 16, 17 अथवा 18 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथास्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

प्रशिक्षण

20. (1) नियम 19 के अधीन नियुक्त किया गया सहायक चकबन्दी अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में ऐसे दिनांक पर जैसा संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त द्वारा नियत किया जाय 45 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रवेश लेगा। प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी, जैसा कि संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त द्वारा विहित की जाय।

(2) प्रशिक्षण स्कूल का प्रधानाचार्य प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के कार्य और आचरण को उनकी उपस्थिति, आचरण और अनुशासन जिसके लिए अर्हकारी परीक्षा के कुल अंको का बीस प्रतिशत अंक चिन्हित किये जायेंगे, के आधार पर मूल्यांकन करेगा और प्रशिक्षणार्थी द्वारा इस संबंध में प्राप्त किये गये अंको को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको के साथ जोड़ा जायेगा।

(3) अर्हकारी परीक्षा में किसी प्रशिक्षणार्थी को तब तक बैठने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति न्यूनतम अस्सी प्रतिशत न रही हो।

(4) अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में जिनमें वह अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी उसके पश्चात् भी अर्हकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सेवा के लिए अनर्ह माना जाएगा और तद्नुसार उसकी सेवायें उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत समाप्त कर दी जायेगी।

(5) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी प्रशिक्षणार्थियों की विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक सत्र के दौरान संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेगा। अधीक्षक अर्हकारी परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को नियुक्त करेगा तथा परीक्षा के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किये गये अनुचित साधनो का प्रयोग करने या प्रयास करने सहित दुराचरण के मामलें यदि कोई हो की सूचना संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त को देगा। अधीक्षक अपने विवेकानुसार उस विशिष्ट प्रश्न पत्र में मुख्य परीक्षा से प्रशिक्षणार्थियों को बहिष्कृत कर सकेगा। ऐसा करने से पूर्व वह प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शाने का पूर्ण अवसर देगा। प्रशिक्षणार्थीगण संयुक्त संचालक चकबन्दी/चकबन्दी आयुक्त के समक्ष 15 दिवस के भीतर अपील दायर कर सकते हैं, जिसका इस संबंध में विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिवीक्षा

21. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगाः

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगेः

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक के लिये नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित

कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

22. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो:

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो:

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो:

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो:

(च) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है:

ज्येष्ठता

23. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता

वह होगी जो नियम 19 के अधीन संयुक्त आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरुप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक् कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु यह कि:–

(i) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेंगी।

(ii) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(iii) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत सेवा नियम या प्रक्रिया में

उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग–7 वेतन आदि।

वेतनमान

24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट **'क'** के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने; विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8—अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 26. पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझेः

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति 29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों की
जनपदवार एवं मण्डलवार संख्या
(नियम– 4(1), 4(2) एवं नियम 24(2) देखें)

पद नाम	वेतनमान एवं ग्रेड–पे	ऊधमसिंहनगर हेतु	हरिद्वार हेतु	कुमायूं मण्डल हेतु	गढ़वाल मण्डल हेतु	योग
चकबन्दी अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे 5400/– 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स (56100–177500) (लेवल–10)	02	02	02	02	08
सहायक चकबन्दी अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे 4200/– 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स (35400–112400) (लेवल–6)	07	07	07	07	28

आज्ञा से,

सुशील कुमार,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 74/XVIII(3)/2019-04(12)/2017 Dehradun**, dated January 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

January 23, 2019

No. 74/XVIII(3)/2019-04(12)/2017--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of **"the Constitution of India"** and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, to regulate the recruitment and condition of services of persons appointed to the service of the Uttarakhand Consolidation Establishment (Revenue Department);

The Uttarakhand Consolidation Officers and Assistant Consolidation Officers Service Rules, 2018

PART I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called **the Uttarakhand Consolidation Officers and Assistant Consolidation Officers Service Rules, 2018.**

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Consolidation Officers and Assistant Consolidation Officers Service comprises of Group **'B'** and **'C'** posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) **"Appointing Authority"** means the Commissioner and Secretary, Revenue Board;

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;

(c) **"Commission"** means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(d) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(e) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **"Member of the Service"** means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **"Service"** means the service of the Uttarakhand Consolidation Officers and Assistant Consolidation Officers Service;

(i) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(j) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II- CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be such as given in Appendix-"A" :

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave any post unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) Consolidation Officer	By promotion from amongst substantively appointed such permanent Assistant Consolidation Officers who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee.
(2) Assistant Consolidation Officer	(1) 50 percent by direct recruitment through the Commission. (2) 50 percent by promotion from amongst substantively appointed such permanent Consolidator who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the

orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (Formerly Burma), Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to acquiring Indian citizenship by him.

Note:- A candidate in whose case certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate must have following qualifications for the direct recruitment to the service of various posts –

Post	Qualification
Assistant Consolidation Officer	has obtained Graduation degree from a University established by law in India or any equivalent qualification recognized by the Government.

Essential Qualification

9. It is essential that the name of the candidate shall be registered in any of the Employment Exchange in Uttarakhand State.

Preferential Qualification

10. A candidate who has:-

(1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(2) Obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age **11.** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years on 1st July and must not have attained the age of more than 42 years on 01 January in that year in which recruitment is made, if post are advertised during 01 January to 30 June and if post are advertised during 01 July to 31 December then on 01 July in that year must attained the age of 21 year and maximum upto 42 years;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character **12.** The character of a candidate to a post in service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy himself on this point.

Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **13.** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness **14.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required-

(a) in the case of Gazetted post or service, to pass an examination by a Medical Board;

(b) in the case of other posts in the service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required

from a candidate recruited by promotion;

Provided further that in order of section 33, the post identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016), the disabled shall not be denied for appointment as per rule.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

15. The Appointing Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6 and intimate to the Commission.

Procedure for direct recruitment

16. (1) The form of application for the direct recruitment shall be published by the commission at least in such two daily newspapers having wide circulation.

(2) (i) There shall be a objective type written examination carrying 100 marks for the selection. The merit list shall be prepared on the basis of the marks obtained in the written examination and others evaluations;

(ii) (a) There shall be an objective type written examination consisting of single question paper of 100 marks which shall include General Hindi, General Knowledge and General Studies. While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ negative marks for each wrong answer;

(b) The answer sheet of written examination shall be in duplicate with carbon copy and the candidates shall be permitted to carry away the duplicate copy with them after the completion of the examination;

(c) After the written examination the answer key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.uk.nic.in.

Provided that the such post in which any physical standard, essential eligibility or manner of recruitment is prescribed, in these terms candidate shall be required to undergo prescribed physical test before the written examination and only those candidate shall be allowed to appear in the test for selection who fulfills the minimum standard prescribed for the post.

Procedure for recruitment by promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority rejecting the unfit by selection committee constituted under the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (On the post outside of the purview of the Uttarakhand Public

Service Commission) Rules, 2002 as amended from time to time, consisting of following members,-

(a) Appointing Authority - **Chairman;**

(b) Two Gazetted Officer, who have supervisory status for that post for which selection is to be made, nominated by Appointing Authority - **Member;**

(c) An officer of Scheduled Caste and Scheduled Tribes nominated by Appointing Authority - **Member;**

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list according to the Uttarakhand (For the post outside the purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Promotion by Selection eligibility list Rules, 2003 as amended from time to time and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as in the cadre from where their promotion are done and forward the same to the Appointing Authority and send the name of selected candidate in required number to the concerned.

Combined selection list

18. If in any year appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the name of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI- APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 16, 17 or 18, as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which

they are promoted, If the appointments are made, both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged, in accordance with the cyclic order, referred to rule 18.

Training

20. **(1)** The Assistant Consolidation Officer appointed under rule 19 shall take admission for training of 45 days in the training school from such date as may be appointed by the Joint Director Consolidation/ Consolidation Commissioner. At the end of training a qualifying examination shall be conducted as may be prescribed by the Joint Director Consolidation/Consolidation Commissioner.

(2) The Principal of the training school shall evaluate the work and conduct, their attendance, conduct and discipline of every trainees and shall mark 20% marks of total marks of qualifying examination for that and marks obtained in this regard by the trainee shall be added with the marks obtained in the qualifying examinations.

(3) No trainee shall be permitted to appear in the qualifying examination until his minimum attendance in the class is less than eighty percent.

(4) If any trainee fails in the qualifying examination than two additional chance shall be given to the trainees for qualifying the examination in which he fails during qualifying examination. If any trainee fails to pass the qualifying examinations after that also than he shall be considered ineligible for the service and accordingly his services shall be terminated under the provisions of the Uttarakhand Temporary Government Servants (Service Termination) Rules, 2003.

(5) A certificate shall be awarded by the school to all trainees on the completion of successful training.

(6) The Joint Director Consolidation/Consolidation Commissioner shall nominate a officer to work as superintendent during every session. The superintendent shall appoint examiners during qualifying examinations and shall intimate to the Joint Director Consolidation/Consolidation Commissioner of the use or attempt of unfair means including matters regarding misbehavior by trainees during examination, if any. The superintendent in his discretion may debar the trainee from main examinations in that specified question paper. Before doing so, he shall give full opportunity to the trainees show cause against the purposed action. The trainees may file appeal within 15 days before the Joint Director Consolidation/ Consolidation Commissioner whose decision in this regard shall be final.

Probation

21. **(1)** A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

22. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) he has passed the prescribed departmental exam, if any;

(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified;

(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

23. (1) Except as hereinafter provided determination of seniority of a person substantively appointed in any category of posts shall be made as per the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined in the order in which their names are arranged in their appointment order;

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, shall be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it shall mean the date of issue of the order;

Provided further that if more than one order of appointment are

issued in respect of any one selection than the seniority shall be same as mentioned in combined order issued under rule 19.

(2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Commission or Selection Committee;

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when post is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The Seniority inter se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from any one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in combined list, prepared in accordance with rule 18, in such manner that the prescribed percentage is maintained;

Provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota;

(ii) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year (to be prepared under this rule) their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order of the other appointees;

(iii) Where, in accordance with the service rules the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant service rules or procedure to be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.

PART-VII- PAY ETC.

Pay Scales

24. **(1)** The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules shall be in accordance with **Appendix-A.**

Pay during probation

25 (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service, has passed the Departmental examination and undergone training, where prescribed and second increment, after two years of satisfactory service, where he has completed the probation period and is also confirmed;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulated, by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII- OTHER PROVISIONS

Canvassing

26. No recommendation either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

27. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rule, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

28. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the Commission, than Commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

Saving **29.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons belonging to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix- 'A'

District wise and division wise number of the posts of Consolidation Officers and Assistant Consolidation Officers.

See rule 4(1), 4(2) and rule 24(2)

S.N.	Name of post	Pay scale and grade-pay	for Udham Singh Nagar	for Haridwar	for Kumaun Division	for Garhwal Division	Total
1.	Consolidation Officer	15600-39100 grade pay 5400 according 7th pay commission Matrix (56100-177500) (level -10)	02	02	02	02	**8**
2.	Assistant Consolidation Officer	9300-34800 grade pay 4200 according 7th pay commission Matrix (35400-112400) (level -6)	07	07	07	07	**28**

By Order,

SUSHIL KUMAR,

Secretary In-Charge.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/84—भाग 1—2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2019 ई0 (फाल्गुन 04, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2018 ई0

सं0 F-9(29)/RG/UERC/2018/852–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

भाग–1

प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2018, संक्षेप में उ.वि.नि.आ., शुल्क विनियम, 2018 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(यह विनियम दिनांक 06.10.2018 के अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

(3) ये विनियम वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22, अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 31, मार्च 2022 तक इन विनियमों के अधीन आने वाले सभी मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे।

2 विनियमों की परिधिः

(1) ये विनियम निम्नलिखित मामलों में लागू होंगेः–

(a) एक उत्पादक कंपनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति;

परन्तु, विद्युत की आपूर्ति में कमी होने पर आयोग, विद्युत के युक्तियुक्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम एक वर्ष हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक अनुज्ञापी या अनुज्ञापियों के

मध्य हुए करार के अनुसरण में विद्युत के कय या विक्रय हेतु शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

(b) विद्युत का राज्यान्तर्गत पारेषण;

(c) एस.एल.डी.सी. प्रभार;

(d) विद्युत की खुदरा आपूर्ति;

परन्तु, दो या इससे अधिक वितरण अनुज्ञापियों द्वारा एक ही क्षेत्र में विद्युत के वितरण के मामलें में, वितरण अनुज्ञापियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए आयोग, विद्युत के खुदरा विकय हेतु शुल्क की केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

परन्तु, आगे यह कि जहां आयोग ने अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिये उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी है, वहां आयोग इन विनियमों और समय–समय पर संशोधित उविनिआ, राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन विनियम के अनुसार व्हीलिंग प्रभार, प्रतिसहायिकी अधिभार, अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार अवधारित कर सकता है।

(2) निम्नलिखित मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु ये विनियम लागू नहीं होगें:

(a) उत्पादक स्टेशन जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रकिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है।

(b) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन स्टेशन, जो समय समय पर संशोधित उविनिआ आई0ई0 विनियमों द्वारा किसी भी अधिनियम द्वारा शासित होंगे।.

(3) सभी प्रयोजनों, जिनमें 31.03.2019 तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामलें सम्मिलित हैं, के लिये शुल्क के अवधारण से संबंधित मुद्दे उस अवधि के दौरान प्रचलित विनियमों द्वारा शासित होंगे।

3 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में;

(1) "लेखा विवरण" से प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण अभिप्रेत है, यथा–

(a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के भाग–1 में समावेशित प्रपत्र के अनुसार तैयार व समय–समय पर संशोधित तुलन पत्र;

(b) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के नकदी प्रवाह विवरण (ए.एस–3) पर लेखा मानक या लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तालिका 7 के रूप के अनुसार तैयार, नकदी प्रवाह विवरण;

(c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख;

(d) समय समय पर आयोग द्वारा निर्देशित जानकारी के साथ अन्य समर्थक दस्तावेज व उनकी टिप्पणियां;

(e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के भाग 2 में समावेशित आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ लाभ और हानि लेखा;

(f) संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;

परन्तु विद्युत के वितरण के कारोबार में संलिप्त किसी स्थानीय प्रधिकारी के मामलों में लेखा विवरण से अभिप्राय होगा कि ऐसे प्राधिकारी पर लागू सुसंगत अधिनियमों और संविधियों के अनुसार तैयार किये गये व रखे गये उपरोक्तानुसार मदें।

(2) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(3) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए या होने के लिए प्रक्षेपित तथा विनियम 22 के उपबन्धो के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार किया गया पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है।

(4) "कुल राजस्व आवश्यकता" से इन विनियमों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष विशेष के लिए अपने अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार से संबंधित सभी अनुमोदनीय व्ययों ओर रिटर्न की, शुल्कों के माध्यम से वसूली हेतु पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी या एस.एल.डी.सी. की आवश्यकता अभिप्रेत है;

(5) "आवंटन विवरण" से अनुज्ञापियों/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. के प्रत्येक पृथक कारोबार के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु एक ऐसा विवरण अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे राजस्व, लागतों, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों या प्रावधानों को दर्शाया गया हो जो;

(a) प्रत्येक ऐसे पृथक कारोबार से या कारोबार के प्रभारित होतें हैं का तथा साथ में उस प्रभार के आधार का वर्णन; या

(b) अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी के अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार और प्रत्येक अन्य पृथक कारोबार के मध्य प्रभाजन अथवा आवंटन द्वारा अवधारित तथा उसके साथ प्रभाजन अथवा आबंटन के आधार का वर्णन;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ऐसा आबंटन विवरण इस प्रकार रखा जायेगा कि शुल्क अवधारण, चरणवार, यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादन स्टेशन के लिये किया जा सके।

(6) "आवेदक" से एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. अभिप्रेत है जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनूसार कुल राजस्व आवश्यकता और या शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन/याचिका का वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन किया है तथा इसमें एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. सम्मिलित है जिसका शुल्क स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति या वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा का विषय है;

(7) "लेखा परीक्षण" से समय–समय पर संशाधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233बी और 619 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) का अध्याय 10 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अभिप्रेत है;

(8) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में, एक अवधि के संबंध में "अनुषंगी ऊर्जा उपभोग" से उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण जैसे कि संयंत्र के प्रचालन के उद्देश्य से उपयोग किये गये, किये जा रहे उपकरण और मशीनरी जिसमें उत्पादक स्टेशन का स्विचयार्ड सम्मिलित है, द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा ओर उत्पादक स्टेशन के भीतर की परिवर्तक हानियां अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिट्स के जनरेटर टर्मिनल्स पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के कॉलोनी उपभोग और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादक स्टेशन पर निर्माण कार्य हेतु उपभोग की गई ऊर्जा को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु अनुषंगी ऊर्जा के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) किसी दी गई अवधि हेतु पारेषण प्रणाली के संबंध में "उपलब्धता" से उस अवधि में "घंटो में " समय अभिप्रेत है जिसमें पारेषण प्रणाली डिलिवरी बिंदु तक अपनी रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के प्रेषण हेतु सक्षम है तथा इसे दी गई अवधि में कुल घंटो के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा।

(10) "आधार वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत है जो नियंत्रण अवधि से दो वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती है, जो इन विनियमों द्वारा आवृत होगा तथा नियंत्रण अवधि हेतु आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 होगा;

(11) एक उत्पादन स्टेशन के संबंध में "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे उत्पादक स्टेशन पर उत्पादित विद्युत क्रय करता है जिसका शुल्क इन विनियमों के अधीन अवधारित है, तथा पारेषण कारोबार के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पारेषण प्रभारों का भुगतान कर पारेषण क्षमता की संविदा की है।

(12) एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ब्लॉक" में कम्बसटन टर्बाईन–जनरेटर्स, सहायक वेस्ट ताप रिकवरी ब्वायलर्स, संयोजित भाप टर्बाइन जेनरेटर्स और अनुषांगिकी सम्मिलित है;

(13) "पूंजी लागत" से विनियम 21 के अनुसार अवधारित पूंजी लागत अभिप्रेत है;

(14) "सी.ई.आर.सी." से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(15) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में से किसी घटना का अर्थ है जिसमें इन विनियमों के अन्तर्गत उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या एस.एल.डी.सी. के प्रचालन अभिग्रस्त निहितार्थ होते हो:

(a) किसी विधान, प्रभाव में लाना, अंगीकरण, प्रख्यापन, संशोधन, आशोधन या निरस्त होना; या

(b) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या सरकारी अभिकरण जो ऐसे निर्वचन या अनुप्रयोग हेतु विधि के अधीन अंतिम प्रधिकारी हो, के द्वारा किसी भारतीय विधि के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन; या

(c) परियोजना हेतु किसी सम्मति या अनापत्ति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त अनुज्ञप्ति में किसी शर्त या प्रसंविदा में किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; या

(d) भारत सरकार और किसी अन्य प्रस्तुत संपन्न स्तर के मध्य किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार/संधि का प्रवृत्त होना या उसमें परिवर्तन होना।

(16) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(17) "नियंत्रण अवधि" से तक की तीन वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2022 अभिप्रेत है जिसके लिए इन विनियमों में राजस्व आवश्यकता और शुल्क के अवधारण के सिद्धांत विनिर्दिष्ट किये गये है;

(18) "पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र" से 25 MW से अधिक क्षमता के गैस आधारित तापीय या जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है;

(19) "कटआफ तिथि" से संपूर्ण परियोजना अथवा उसके एक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन के दो वर्ष के पश्चात् वर्षात में 31 मार्च अभिप्रेत है और यदि संपूर्ण परियोजना या उसका भाग किसी वर्ष की

अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो कट ऑफ तिथि वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष में तीन वर्ष पश्चात् वर्षात की 31 मार्च होगी;

परन्तु यदि दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर से कारणों से कट ऑफ तिथि के भीतर पूंजीकरण नहीं किया सका तो आयोग कटआफॅ तिथि को विस्तारित कर सकेगा;

(20) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" या "सी.ओ.डी." से एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या ब्लॉक अथवा एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की निम्नलिखित रूप से अवधारित की जायेगी:

(a) एक उत्पादक यूनिट या ताप उत्पादक स्टेशन के ब्लॉक के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर.) या लाभार्थी, यदि कोई है, को नोटिस के पश्चात् एक सफल ट्रायल रन के द्वारा संस्थापित क्षमता (IC) प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि, और पूर्णरूप में एक उत्पादन स्टेशन के मामले में उत्पादक स्टेशन की अंतिम उत्पादक यूनिट या ब्लॉक की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत होगी:

(b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से ग्रिड संहिता के अनुसार शिड्यूल प्रक्रिया पूरी तरह से लागू होने के पश्चात् 00.00 बजे से उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि और पूर्ण रूप से एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में, एक सफल ट्रायल रन के द्वारा उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तदनुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत होगी;

परन्तु:

(i) जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय करने की लिये बंधे हुए है, वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन से नोटिस के पश्चात् आरम्भ होगा तथा शिड्यूलिंग, ट्रायल रन के पूर्ण होने कें पश्चात् 00.00 बजे से आरम्भ होगी।

(ii) उत्पादक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादक स्टेशन केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (विद्युत संयंत्रो और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2010 और ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य उपबंधो को पूरा करता है:

(iii) यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसके पास पॉन्डेज़ ओर स्टोरेज है, अपर्याप्त जलाशय या ताल स्तर के कारणों से संस्थापित क्षमता मे तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उत्पादक स्टेशन की अंतिम यूनिट की तिथि ही उत्पादक स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि मानी जायेगी और ऐसे जल विद्युत स्टेशन के लिये, जैसे ही और जब ऐसा जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो जाये, उत्पादन यूनिट या

उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा:

(iv) यदि एक रन–ऑफ–रिवर जलविद्युत उत्पादक स्टेशन या उसकी उत्पादक यूनिट, लीन इनफ्लोज अवधि के दौरान जब पीकिंग क्षमता के ऐसे प्रदर्शन हेतु जल का प्रवाह अपर्याप्त होता है वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होती है तो उस जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या उत्पादक यूनिट के लिये जब जैसे ही जल का प्रवाह उपलब्ध हो, संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

(v) उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग और इस संबंध में सभी नियमों और विनियमों तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम, 2010 के अनुपालन से संबंधित प्रमाण–पत्र पर संलग्नक 5 में संलग्न प्रारूप में निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कंपनी के सी.एम.डी./सी.ई.ओ./एम.डी. द्वारा हस्ताक्षर किय जायेंगे।

(c) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 00.00 बजे से पारेषण अनुज्ञापी द्वारा घोषित वह तिथि अभिप्रेत है जिसका पारेषण प्रणाली का एक तत्व रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के पारेषण हेतु सफल ट्रायल रन के पश्चात् निरंतर सेवा में है:

परन्तु;

(i) नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति किसी पारेषण लाईन या उप स्टेशन के चार्ज किये जाने से पूर्व आवश्यक होगी।

(ii) जहां पारेषण लाईन या उप स्टेशन एक उत्पादक स्टेशन विशेष से ऊर्जा निष्क्रमण हेतु समर्पित है, वहां उत्पादक कंपनी और पारेषण अनुज्ञापी, जहां तक व्यवहारिक हो, एक साथ उत्पादक स्टेशन ओर पारेषण प्रणाली को चालू करने का प्रयास करेंगे और इन विनियमों के विनियम 21(7) के अनुसार उपयुक्त पारेषण सेवा करार के माध्यम से ऐसा सुनिश्चित करेंगे:

(iii) यदि एक पारेषण प्रणाली या उसके एक एलीमेंट को नियमित सेवा से ऐसे कारणों से रोका जाता है जिनका पारेषण अनुज्ञापी या उसके आपूर्तिकर्त्ता या उसके ठेकेदारों को दोष नही दिया जा सकता तो पारेषण अनुज्ञापी ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके एलीमेन्ट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुमोदन हेतु एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग के पास निवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में आयोग पारेषण प्रणाली या एक एलीमेन्ट के नियमित सेवा में आने से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनुमोदित कर सकता है।

(iv) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से, इसके रेटेड वोल्टेज स्तर पर एक वितरण अनुज्ञापी की विद्युत लाईन या उप स्टेशन की चार्जिंग की तिथि या

वितरण अनुज्ञापी द्वारा चार्जिंग के लिये तैयार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिन पश्चात्, किन्तु ऐसे कारणों, जिनका दोष इससे आपूर्तिकर्त्ताओं या ठेकेदारों को नहीं दिया जा सकता, से यह चार्ज नहीं हो पाता, दोनों में से जो पहले हो, अभिप्रेत होगी:

परन्तु नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार किसी एच.टी./ई.एच.टी. या उपस्टेशन को चार्ज करने से पहले विद्युत निरीक्षक की अनापत्ति आवश्यक होगी।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि जब तक सभी पक्षों की परस्पर सहमति न हो यथास्थिति ऊर्जा क्रय करार या क्रियान्वयन करार या पारेषण सेवा करार या व्हीलिंग करार या निवेश अनुमोदन में उल्लेखित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तिथि से पहले की गई तिथि नहीं होगी।

(21) "दिन" से 00.00 बजे से आरम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(22) "घोषित क्षमता" या "डी.सी." से, एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ईंधन और जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और सुसंगत विनियम में आगे की अर्हता के अधीन, दिन में किसी टाईम ब्लॉक या पूरे दिन के संबंध में ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित मेगा में एक्स–बस विद्युत प्रेषण की क्षमता अभिप्रेत है;

(23) इन विनियमों के अधीन शुल्क के उद्देश्य से "पूंजीकरण निरसान" से आयोग द्वारा स्वीकृत हटाने/निकालने के तद्नुरूप परियोजना की सकल स्थिर आस्तियों में कमी करना अभिप्रेत है;

(24) "डिजाईन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की 95: प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है;

(25) विचलन निपटान शुल्क (डीएसएम शुल्क) से अभिप्रेत उविनिआ (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों) विनियम, 2017 एवं समय–समय पर संशोधिन या इसके बाद के किसी भी पुनः अधिनियम के द्वारा निर्धारित डीएसएम शुल्क;

(26) "वितरण कारोबार" से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव का कारोबार अभिप्रेत है;

(27) "वितरण हानि" से वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानियां अभिप्रेत है, जिसमें एयर कंडीशनिंग, लाईटिंग, बैटरी चार्जिंग, उप–स्टेशन उपकरणों के साधनों के उद्देष्य हेतु उपस्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग सम्मिलित है;

(28) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में "एलीमेन्ट" से ऐसी आस्ति आभिप्रेत होगी जिसे निवेश अनुमोदन में परियोजना की परिधि के अधीन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है;

(29) "वर्तमान उत्पादक स्टेशन" और "वर्तमान परियोजना" से ऐसा उत्पादक स्टेशन और परियोजना अभिप्रेत है जिसने 01.04.2019 से पूर्व सी.ओ.डी. प्राप्त कर लिया है;

(30) "शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व" से प्रचालित शुल्कों पर अनुज्ञापित/विनियम कारोबार से अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. को जमा अनुमानित राजस्व अभिप्रेत है;

(31) "उपार्जित व्यय" से एक उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में परिनियोजित नकद या नकद समतुल्य भुगतान की गई निधि, चाहें वह इक्विटी हो या डैट या दोनों अभिप्रेत है और इसमें वे प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं है जिनके लिए भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया है;

(32) "विस्तारित जीवन" से प्रत्येक मामलों में अलग–अलग आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट के उपयोगी जीवन से आगे का जीवन अभिप्रेत है;

(33) "वित्तीय वर्ष" से कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(34) "अपरिहार्य घटनाओं" से किसी पक्ष, किसी घटना या परिस्थितियों के संबंध में वे घटनाएं अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण में नहीं है, या उस पक्ष के किसी कृत्य के लोप के कारण नहीं है और जिसे युक्तियुक्त देखभाल और उचित तत्परता के प्रयोग से वह पक्ष रोक पाने में असमर्थ है जिसके पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना, भी सम्मिलित है:

(a) दैवीय कृत्य जैसे आकाशीय बिजली, भूस्खलन, तूफान, तत्वों के कृत्य, भूकम्प, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदा या अतिशय रूप से प्रतिकूल मौसम की परिस्थियाँ;

(b) सार्वजनिक शत्रु का कोई कृत्य, युद्ध (घोषित या अघोषित), घेराबंधी, अवरोध, विप्लव, दंगे, क्रान्ति, तोड़–फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाही, बर्बरता और सिविल व्यवधान;

(c) अपरिहार्य दुर्घटना, आग, धमाका, रेडिएक्टिव संदूषण और जहरीला हानिकारक रसायनिक संदूषण;

(d) ग्रिड की कोई बंदी अथवा व्यवधान जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा या आयोग द्वारा या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित या निर्देशित हो; और कोई बंदी या रूकावट जो किसी महत्वपूर्ण संयंत्र या उपकरण की विफलता के गंभीर और त्वरित जोखिम को टालने के लिये आवश्यक हो;

(35) "उत्पादन कारोबार" से एक उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पादन का कारोबार अभिप्रेत है;

(36) "उत्पादन शुल्क" से एक उत्पादक स्टेशन विद्युत की एक्स–बस आपूर्ति हेतु शुल्क अभिप्रेत है;

(37) "उत्पादक यूनिट" के संबंध में थर्मल जनरेटिंग स्टेशन (संयुक्त चक्र थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के अतिरिक्त) से गैस टर्बाईन–जनरेटर, स्टीम टर्बाईन–जनरेटर एंव अनुषंगी, जिसमें हीट रिकवरी यूनिट भी सम्मिलित है या अन्य ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में गैस टर्बाईन–जनरेटर और अनुषंगी अभिप्रेत है; तथा एक जल विद्युत स्टेशन के संबधं में टर्बाईन जनरेटर और इसकी अनुषंगी अभिप्रेत है;

(38) "उत्पादन स्टेशन" से विद्युत उत्पादन हेतु कोई स्टेशन अभिप्रेत है, इसमें स्टेप–अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल्स या इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई अन्य अनुबंन्ध उपकरण, यदि कोई है के साथ कोई भवन और संयंत्र और उसका स्थल तथा उत्पादक स्टेशन के प्रचालन स्टाफ के आवास हेतु उपयोग में लाया जाने वाला भवन सम्मिलित है, और जहां जल–शक्ति से विद्युत उत्पादित की जाती है वहां इसमें पेनस्टॉक्स, हैड एंड टेल वर्क्स, मेन और रेगुलेटिंग जलाशय, बांध और अन्य हायड्रॉलिक वर्क्स, सम्मिलित हैं किंतु इसमें किसी भी स्थिति में उप–स्टेशन सम्मिलित नहीं है;

(39) "ग्रिड संहिता" से समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(40) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू" या "जी.सी.वी." से गैसीय ईंधन के एक मानक धन मीटर के पूर्ण दहन द्वारा KCal में उत्पादित ताप अभिप्रेत है;

(41) "सकल स्टेशन ताप दर" या "GHR" से ताप उत्पादन स्टेशन में जनरेटर टर्मिनल्स पर विद्युत ऊर्जा का एक kwh उत्पादित करने के लिये आवश्यक Kcal के ताप ऊर्जा इनपुट अभिप्रेत है;

(42) "भारत सरकार अभिकरण" से भारत सरकार, राज्य से सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) और भारत सरकार या राज्य सरकार, जहां परियोजना अवस्थित है, द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या बोर्ड या एजेन्सी या अन्य विनियामक अथवा न्यायिक–कल्प प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(43) "अशस्त ऊर्जा" से उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व इन्जेक्ट की गई विद्युत अभिप्रेत है;

(44) "संस्थापित क्षमता" से आयोग द्वारा समय समय पर स्वीकृत, उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की नाम पट्टिका क्षमता का समेशन या उत्पादक की क्षमता जनरेटर टर्मिनल्स पर गणना किये अनुसार अभिप्रेत है;

(45) "अन्तः संयोजन बिंदु" से वह बिन्दु अभिप्रेत है जहां विक्रेता के पावर स्टेशन स्विच यार्ड बस से यथा स्थिति, अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में ऊर्जा इन्जेक्ट की जाती है (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ पावर स्टेशन को जोड़ने वाली डेडिकेटड पारेषण लाईन सहित)।

साधारण गजट 23–02–2019 में
मैटर पेज अधिक होने के कारण
"भाग–1–क" का सम्पूर्ण मैटर
पीडीएफ फाईल में नहीं आ सका।
जिस कारण पूरा हिन्दी गजट
नेट पर अपलोड
नहीं किया गया।

उत्पादक कम्पनी का नाम .....
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 11

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण

(आंकड़ें करोड़ो में)

कम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (एन+6)	पूर्व वर्ष (एन+5)	पूर्व वर्ष (एन+4)	पूर्व वर्ष (एन+3)	पूर्व वर्ष (एन+2)	पूर्व वर्ष (एन+1)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रै–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च (अनुमानित)	अप्रै–मार्च (कुल)	आकलित	आकलित	आकलित	
(ए)	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय													
	संयंत्र व मशीनरी													
	भवन													
	सिविल कार्य													
	हायड्रोलिक कार्य													
	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
	वाहन													
	फर्नीचर्स व फिक्स्चर्स													
	कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें													
	स्टोर्स व स्पेयर्स का उपभोग													
	– जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपस्करों से संबंधित													
	– अनुषंगी विद्युत उपकरणों से संबंधित													
	– अनुषंगी उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए सेवाओं से संबंधित													
	उप–योग													
(बी)	प्रशासनिक व्यय													
	– बीमा													
	– किराया													
	– विद्युत प्रभार													
	– यात्रा व यातायात													
	– स्टाफ कार													
	– टेलीफोन, टेलेक्स एंव पोस्टेज													
	– विज्ञापन													
	– मनोरंजन													
	– कार्पोरेट प्रबंधक व्यय													
	– विधिक व्यय													
	– अन्य (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	उप–योग													
(सी	कर्मचारी लागत													
	– मूल वेतन													
	– मंहगाई भत्ता													
	– अन्य भत्ते													
	– बोनस													

	– स्टाफ कल्याण व्यय													
	– चिकित्सा भत्ता													
	– अन्य व्यय (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	– सेवांत लाभ													
	उप–योग													
(डी	कार्पोरेट कार्यालय व्यय आवंटित													
	– कर्मचारी व्यय													
	– मरम्मत एवं रखरखाव													
	– प्रशिक्षण एवं भर्ती													
	– संप्रेषण													
	– यात्रा													
	– सुरक्षा													
	– किराया													
	– अन्य (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	उप–योग													
	कुल ओ एंड एम व्यय													
	घटाकर : ओ एंड एम व्यय पूंजीकृत													
	शुद्ध ओ एंड एम व्यय													

नोट–

1. उत्पादक स्टेशनों को कार्पोरेट व्यय आवंटित करने की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. डाटा को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाये।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम .....

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्रः एफ 11.1

मरम्मत एवं रखरखाव का विवरण

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं0	ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	पूर्व वर्ष (एन+6)	पूर्व वर्ष (एन+5)	पूर्व वर्ष (एन+4)	पूर्व वर्ष (एन+3)	पूर्व वर्ष (एन+2)	पूर्व वर्ष (एन+1)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रै–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च (अनुमानित)	अप्रै–मार्च (कुल)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	संयंत्र एवं मशीनरी													
2	भवन													
3	सिविल कार्य													
4	हायड्रोलिक कार्य													
5	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
6	वाहन													
7	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
8	कार्यालय उपकरण													
9	स्टेशन आपूर्ति, स्टोर्स व उपभोज्य													
	– जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपसाधनों से संबंधित													
	– उपकरण													
	– अनुशंगी उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए सेवाओं से संबंधित													
11	अन्य कोई मद													
12	घटाकर : पूंजीकरण													
	योग													

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम .....
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 11.2

कर्मचारी व्ययों का विवरण

(आंकड़े करोड़ों में)

	क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-6) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-5) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-4) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-3) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन) अप्रै–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च (अनुमानित)	अप्रै–मार्च (कुल)	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
(ए)		कर्मचारी लागत ("सी"व"डी" में उल्लिखित से अन्यथा)													
	1	वेतन													
	2	अतिरिक्त वेतन/महंगाई भत्ता (डीए)													
	3	अन्य भत्ते व राहत													
	4	अंतरिम/राहत/मजदूरी संशोधन													
	5	नानदेय/ओवर टाईम													
	6	संविधिक बोनस/एक्स ग्रेशिया													
		उप–योग													
(बी)		अन्य लागतें													
	1	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति													
	2	यात्रा भत्ता (यातायात भत्ता)													
	3	अवकाश यात्रा सहायता													
	4	अर्जित अवकाश नकदीकरण													
	5	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अधीन भुगतान व ग्रेच्युटी													
	6	कर्मचारियों को सहायता रूप में विद्युत													
	7	अन्य कोई मद													
	8	स्टाफ कल्याण व्यय													
		उप–योग													
(सी)		प्रशिक्षु व अन्य प्रशिक्षण व्यय													
(डी)		सेवांत लाभों के लिये अंशदान													
	1	भविष्य निधि अंशदान													
	2	भविष्य निधि हेतु प्राविधान													
	3	कोई अन्य मद													
		कुल सी													
(ई)		कुल योग													
(एफ)		कर्मचारी व्यय पूंजीकृत													
(जी)		शुद्ध कर्मचारी व्यय (ई)–(एफ)													

याचिकाकर्ता

बी. कर्मचारियों की संख्या का विवरण

(आंकड़े करोड़ों में)

क्रम सं0	मद	पूर्व वर्ष (एन-6)	पूर्व वर्ष (एन-5)	पूर्व वर्ष (एन-4)	पूर्व वर्ष (एन-3)	पूर्व वर्ष (एन-2)	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रै–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च (अनुमानित)	अप्रै–मार्च (कुल)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
ए	अधिकारी/प्रबंधक संवर्ग													
1	तकनीकी													
2	प्रशासकीय													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
बी	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	श्रेणी I													
5.2	श्रेणी II													
5.3	श्रेणी III													
5.4	श्रेणी IV													
6	प्रशासकीय													
6.1	श्रेणी I													
6.2	श्रेणी II													
6.3	श्रेणी III													
6.4	श्रेणी IV													
7	लेखा एवं वित्त													
7.1	श्रेणी I													
7.2	श्रेणी II													
7.3	श्रेणी III													
7.4	श्रेणी IV													
8	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	श्रेणी I													
8.2	श्रेणी II													
8.3	श्रेणी III													
8.4	श्रेणी IV													
	कुल कर्मचारी													

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम .....

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्रः एफ 11.3

प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों का विवरण

(आंकड़े करोड़ों में)

क्रम सं0	विवरण		पूर्व वर्ष (एन-6) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-5) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-4) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-3) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन) अप्रै–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च (अनुमानित)	अप्रै–मार्च (कुल)	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
ए	प्रशासकीय व्यय														
1	किराया दरें व कर पट्टा/ दरें व कर किराया														
2	बीमा														
3	राजस्व स्टैम्प व्यय लेखा														
4	टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलेक्स प्रभार														
5	कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों को प्रोत्साहन व ईनाम														
6	परामर्श प्रभार														
7	तकनीकी फीस														
8	अन्य वृत्तिक प्रभार														
9	यातायात व यात्रा														
10	लाईसेन्स व पंजीकरण फीस	संयंत्र व मशीनरी													
		वाहन													
11	वाहन व्यय (ट्रक्स व डिलीवरी वैन से अन्यथा)	वाहन चालित व्यय पेट्रोल व ईंधन													
		वाहनों का किराया													
12	वाह्य अभिकरण को संदेय सुरक्षा/सेवा प्रभार														
	उप–योग "ए" (1 से 12)														
(बी)	अन्य प्रभार														
1	पुस्तक व पत्रिकाओं की फीस व चंदा														
2	छपाई व लेखन सामग्री														
3	विज्ञापन व्यय (क्रय संबंधी से अन्यथा) प्रदर्शनी एवं डेमो														
4	वाह्य संस्थाओं/संघों को अंशदान/दान														
5	कार्यालयों को विद्युत प्रभार														

6	जल प्रभार													
7	मनोरंजन प्रभार													
8	विविध प्रभार													
	उप–योग "बी" (1 से 8)													
(सी)	विधिक प्रभार													
(डी)	लेखा परीक्षक की फीस													
(ई)	सामग्री संबंधी व्यय													
1	पूँजीगत उपकरणों पर भाड़ा													
2	कय संबंधी विज्ञापन व्यय													
3	वाहन चालित व किराया व्यय (ट्रक डिलीवरी वैन)													
4	अन्य भाड़ा													
5	पारगमन बीमा													
6	चुंगी													
7	आकस्मिक स्टोर्स व्यय													
8	फेब्रीकेशन प्रभार													
	उप–योग "ई" (1 से 8)													
(एफ	कुल योग (ए से ई)													
(जी)	ए एंड जी व्यय पूंजीकृत													
(एच	शुद्ध ए एंड जी व्यय (एफ–जी)													

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम .....
उत्पादन स्टेशन का नाम .....

प्रपत्रः एफ 12

गैर शुल्क आय

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वार्ष (एन+2)	आगामी वार्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)				
ए	**निवेश, स्थिर व मांग जमाओं से आय**								
1	निवेश से ब्याज आय								
2	सविधि जमाओं से ब्याज								
3	साविधि जमाओं से अन्यथा बैंकों से ब्याज								
4	(किन्ही अन्य मदों) पर ब्याज								
	उप–योग								
बी	**अन्य गैर शुल्क आय**								
1	स्टाफ को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज								
2	अनुज्ञापी को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज								
3	पट्टा दाताओं को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज								
4	आपूर्तिकर्ताओं संविदाकारों को अग्रिमों पर ब्याज								
5	ट्रेडिंग से आय (विद्युत से अन्यथा)								
6	स्थिर आस्तियों के विकय से प्राप्ति								
7	स्टाफ कल्याण कियाकलापों के द्वारा फीस/आय/संग्रह								
8	विविध प्राप्तियां								
9	लाभार्थी से विलंबित भुगतान प्रभार								
10	यू आई प्रभारों से शुद्व लाभ								
11	विलंब इत्यादि के लिये संविदाकार/ आपूर्तिकर्ता हेतु दंड								
12	लाभार्थी से विविध प्रभार								
	उप–योग								
	योग–								

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम .....
उत्पादन स्टेशन का नाम .....
प्रपत्र: एफ 13.
सहीकरण का सारांश
अंतिम सहीकरण हेतु पूर्व वर्ष **(एन+1)**

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियंत्रणीय	अनियंत्रणीय
ए	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	सकल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4+5+6+7)						
9	घटाकर अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
10	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार (8-9)						
बी	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व						
सी	अधिशेष/(अंतर)						

नोट: कृपया अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुए विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु वर्तमान वर्तमान वर्ष (एन)

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं0	विवरण	अनुमोदित	अर्धवार्षिक वास्तविक कार्य निष्पादन पर आधारित संशोधित आंकलन	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियंत्रणीय	अनियंत्रणीय
ए	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	सकल वार्षिक स्थिर प्रभार						
9	घटाकर : अन्य आय						
10	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
बी	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व						
सी	अधिशेष/(अंतराल)						

नोट : कृपया अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुए विचलन हेतु पृथक रुप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम .....

उत्पादन स्टेशन का नाम .....

प्रपत्रः एफ 14

इक्विटी पर प्रतिफल दर्शाने वाला पत्रक

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	प्रारंभिक इक्विटी				
	जोड़ेः वर्ष/अवधि के दौरान संवृद्धि के कारण हुई वृद्धि				
	घटाएंः वर्ष/अवधि के दौरान हुए पूँजीकरण के कारण घटोत्तरी				
	घटाएंः वर्ष/अवधि के दौरान तकदीली के कारण हुई कमी				
	जोड़ेः वर्ष/अवधि के दौरान निर्वहन के कारण हुई वृद्धि				
	अन्तिम इक्विटी				
	औसत इक्विटी				
	आरओई की दर				
	इक्विटी पर प्रतिफल				

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम ....

उत्पादन स्टेशन का नाम ....

प्रपत्रः एफ 14ए

इक्विटी पर प्रतिफल

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं0	मद	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी								
2	पूंजीगत व्यय								
3	पूंजीगत व्यय का इक्विटी भाग								
4	वर्ष के अंत में इक्विटी								
5	प्रतिफल संगणना								
6	इक्विटी के प्रारम्भिक अधिशेष पर इक्विटी पर प्रतिफल								

याचिकाकर्ता

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/84—भाग 1—क—2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।